

16. कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त
 17. कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें तहायता प्राप्त
 18. असाक्षीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-
 निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
 19. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निगमित किये जायें
 20. संस्था उनका पालन करेगी।
 21. विद्यालय ब्रिक्डाई निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
 22. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के दिना कोई परिवर्तन/
 संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि
 किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया
 जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या सिध्दित बरती जा रही
 है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

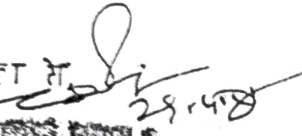
सहोप, 

प्रमुख प्रमाण पत्र :
 प्रमुख प्रमाण पत्र :

प्रमुख प्रमाण पत्र दिनांक तैयार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~उत्तर प्रदेश~~।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~उत्तर प्रदेश~~।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ.प्र., लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, ~~उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शिक्षा विभाग, लखनऊ~~।
- 6- गाई कुक

आज्ञा से 

प्रमुख प्रमाण पत्र :
 प्रमुख प्रमाण पत्र :

Principal
 CARMEL PUBLIC SCHOOL
 Nevada Road, Gajrauli

CARMEL PUBLIC SCHOOL
 GAJRAULA